हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 10 अंक : 5 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मई, 2019

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in

मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

राज्यों से छीनी जा चुकी है ओबीसी घोषित करने की शक्तियाँ

समता आन्दोलन समिति का स्थापना महोत्सव सम्पन्न

जयपुर 16 मई। ''आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम समता आंदोलन के सदस्य हैं'' जैसे ही ये वाक्य आंदोलन के संरक्षक पानाचंद जी जैन ने बोला, वैसे ही खचाखच भरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और 'जय समता आंदोलन' के जयघोष से ऊर्जावान हो उठा। अवसर था जयपुर में आयोजित समता आंदोलन का राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना पखवाड़े का समारोह। बीकानेर समता आंदोलन के महामंत्री सीताराम कच्छावा ने स्वागत भाषण में समता आंदोलन की उपलब्धियां बताते हुए मंच और सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस अवसर पर बोलते हुए ''फोर्टी'' के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने कहा कि ये आन्दोलन अब केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया है, देश के व्यापारीगण कान खोल कर सुन लें आपकी फैक्टरी और दुकानों में भी जाति आरक्षण लाने की तैयारी है। जबकि समता आंदोलन पूरे भारत के व्यापारियों का भी भला कर रहा है। इसी अवसर पर पी डब्ल्यू डी के एस.ई. विकास दीक्षित ने ओजपूर्ण शब्दों में कहा 'कांच की चमक को धूल के कणों ने ढंका था। धूल हट रही है। चमक लौट रही है। समता आंदोलन लाइट हाउस की तरह काम कर रहा है।

गणपति, सरस्वती और अम्बे माता के आह्वान से शुरू हुए समारोह में समता आंदोलन महिला प्रकोष्ठ की महासचिव लतिका झा ने कहा कि जातिगत आरक्षण की पीड़ा तो सभी को है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हर तरह के अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ लड़ने वाली एक मात्र संस्था है, समता आंदोलन समिति। प्रश्न उठाने से बेहतर है सभी सहयोग करें। हम हिंसा के खिलाफ हैं। वहीं पी.डब्ल्यू.डी कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बी.एम. शर्मा की चेतावनी थी कि देश के राष्ट्रवादी

वर्ग सामान्य बातों में उलझा रहा है और कमज़ोर होता गया है। अब संघर्ष का माद्दा ही हमें जीवित रख सकता है। आंदोलन के प्रवक्ता गिरधारी सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा कि जाति आरक्षण के कारण साम्प्रदायिक सौहार्द्र कम हुआ है और आज हालात ये है कि सैंकड़ों सालों बाद सबसे बुरी हालत है। जातिगत आरक्षण अगर रहा तो आतंक के बजाय इससे भारत नष्ट हो सकता है। राष्ट्र प्रथम के लिए समानता ज़रूरी है। इसी अवसर पर समता ज्योति के संपादक योगेश्वर झाड़सरिया ने मासिक समाचार पत्र के प्रकाशन और वितरण के बारे में पूरी जानकारी दी। ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ के महामंत्री शमसुद्दीन ने सवाई माधोपुर से आकर कहा ''मुसाफिर बाहर निकल कर तो देख, रास्ते तेरा इंतज़ार करते हैं।'' राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। नेता उन्हें डराते हैं जो डरते हैं। जिनसे वे डरते हैं उनकी पूजा करते हैं। एक चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है। हम कैसे आदमी हैं जो बच्चों के लिए बोलते भी नहीं। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रकोष्ठ के महामंत्री बी.के. तिवाड़ी जी ने कहा हम डर से मुक्त हों। अगर कोई आपको परेशान करे तो हमें बताएं, हम संघर्ष करेंगे। उदयपुर संभाग के अध्यक्ष अधिवक्ता दूल्हे सिंह चूंडावत का विचार था कि पिछले सालों में जितनी वैमनस्यता फैली हैए हमने उन्हें जागृत करने का प्रयास किया जिनका शोषण उन्ही के लोग करते हैं, तो नेताओं ने 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं चावल देकर उन्हें चुप कर दिया।

समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण ने सबको बताया कि पिछला साल अब तक का सफलतम वर्ष रहा है। तरतीबवार विगत 2 अप्रैल 2018 से शुरू करके खुद की गिरफ्तारी और समता आंदोलन द्वारा किये गए सफल राजस्थान बंद का जिक्र करते हुए बताया कि हमें ये देखने समझने का अवसर मिला कि पार्टियां और संसद जातिवाद के सामने लाचार रह जाती हैं। 2 अप्रैल 2018 का एस.सी.-एस.टी. का बन्द ग्रह युद्ध का ट्रेलर था। अब आभास होता है कि दोनो बड़े दल ठान चुके हैं कि जातिगत आरक्षण से देश को बचाना ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद अब देश में सभी वर्ग आरक्षित हैं। इससे जाती आधारित आरक्षण का समापन शुरू हो चुका है। इसके खिलाफ8 रिटें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं जिनमें से 7 खुद सवर्णों ने लगाई हैं और एक ओ बी सी ने। ये लोकतंत्र का सौंदर्य है। दूसरी ओर ओ बी सी के लिए एन सी बी सी को 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा देना बहुत बड़ा कदम है। इस संविधान संशोधन को पढ़ने पे पता लगा कि ओ बी सी घोषित करने की शक्तियां राज्य के बजाय अब केन्द्र में चली गई है। ओबीसी घोषित करने की शक्तियॉ अब राज्यों से पूरी तरह छीनी जा चुकी हैं। आर्टिकल 342 के तहत राष्ट्रपति जिसे घोषित करेंगे वो ही ओ बी सी वर्ग में शामिल माना जावेगा। यहां ये भी उल्लेखनीय है कि 102 वें संविधान संशोधन के बाद गूर्जर आरक्षण राज्य का विषय नही रह गया है। इस पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना नफा नुकसान देखे बिना देश हित में बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके बाद उन्होंने सूचनात्मक अंदाज़ में कहा कि एस सी एस टी से क्रीमी लेयर बाहर हो चुकी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला 26 सितम्बर 2018 को आ चुका है जिसे लागू करने के लिए हमारी रिटें लग चुकी हैं। हम किसी के खिलाफ नही हैं। हम संवैधानिक शुचिता लागू करवाना चाहते हैं। आज पूरे देश में जातिगत आरक्षण के बारे में निर्भिक लड़ाई लड़ने वाला केवल समता आंदोलन है। हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने पुनर्मूषक: भव के अंदाज़ में अपने मैनिफेस्टो में पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा की तो हमने सारे तथ्यों का विश्लेषण करके नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का औपचारिक आहवाहन किया। ये भी हमारी जीत है कि एम. नागराज रीविज़िट नही हुआ और क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। रीविजिट में ये निर्णय हो गया कि बैकवर्ड की शर्त हटा दी गई। अब हम रिट लगा कर उसे वापस जुड़वाएंगें। सभी आश्वस्त हों कि पदोन्नति में आरक्षण कभी नही था, ना है, ना होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष और संरक्षक भागीरथ शर्मा ने सभी उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सब पाराशर नारायण बनें और याद रखें कि ऊपर दृष्टि दृश्य, निश्चित ही परिश्रम फल देता है। सम्पूर्ण समारोह का संचालन विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिराज राठौड़ ने किया और सारी व्यवस्था का संचालन दीपक सिंहल के नेतृत्व में सुभाष, जितेंद्र और प्रदीप ने किया।

अध्यक्ष की कलम से

समतावादी राष्ट्रवादी मतदाताओं को शत्-शत् नमन

साथियों, देश में राष्ट्रीय स्तर पर सम्पन्न हुये लोकसभा चुनावों का परिणाम 23 मई को आया है। सभी समतावादी और राष्ट्रवादी नागरिक गदगद हैं। हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पूरे देश ने खुले मन से दूसरे कार्यकाल के लिए प्रचण्ड बहुमत प्रदान किया है।

समता आन्दोलन कोर कमेटी ने इन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले 24 अप्रेल को सभी राष्ट्रवादी नागरिकों से सकारण खुली अपील की थी कि स्थानीय प्रत्याशियों से मतभेदों और शिकायतों को भूल कर नरेन्द्र मोदी को प्रचण्ड बहुमत से जिताने के लिए हर सम्भव प्रयास करें। हमारी इस अपील को सभी विवेकशील एवं राष्ट्रवादी नागरिकों ने जबरदस्त प्रचारित किया और इस पर अमल भी किया। नरेन्द्र मोदी की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। समतावाद की जीत है। सबका साथ सबका विकास की जीत है। भारतीय प्रजातंत्र की जीत है। मतदाताओं के परिपक्व सोच की जीत है। वंशवाद की हार है, जातिवादियों की हार है। वोट के लिए घूस का वचन देने वालों की हार है। देश को कमजोर करने वालों की हार है। चारों के गिरोह की हार है। देश के मतदाताओं को मूर्ख समझने वालों की हार है। समता आन्दोलन को इस ऐतिहासिक जीत से बहुत सी समतावादी आशाएँ हैं। इस चुनाव में जातिवादी, सम्प्रदायिक और भ्रष्टाचारपूर्ण राजनीति करने वाले राजनेताओं और दलों को झकझोर कर निचोड़ दिया हे। अब ऐसे राजनेताओं को शुचिता और पवित्रता की राष्ट्रवादी समतावादी राजनीति करने को मजबूर होना होगा। सभी समतावादी मतदाताओं को शत्-शत् नमन।

सम्पादकीय

दबावों को झेलता लोकतंत्र

लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि यहां कुछ भी स्थायी नही है, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, प्रशासन पर सरकार की पकड़ होती है, प्रशासन जनता की सेवा के लिए है। न्यायपालिका संविधान को जीवित रखने के लिए है, और मीडिया तथा प्रेस बार बार चिकोटी काट कर पूरे लोकतंत्र को जगाए रखने के लिए है। ये चारों ही स्तम्भ लोकतंत्र के प्राणतत्व हैं। परंतु यदि सच में देखा जाए तो पंचतत्व की अवधारणा के अनुसार पांचवा और सबसे प्रधान लोकतान्त्रिक तत्व है जनबल। इसी जनबल ने अभी लोकतंत्र की परीक्षा ली है, नई सरकार भी बन चुकी है। इस सरकार के माध्यम लोकतंत्र कितना फलीभूत और गतिशील होगा ये तो भविष्य बताएगा लेकिन ये ज़रूर है कि चुनाव के बाद जनबल को अप्रसंगिक मान लिया जाता है।

न केवल भारत बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में चाहे कोई सी भी शासन पद्धति हो, जनता के नाम पर ही राज्य व्यवस्था चलती है। हाल के कुछ वर्षों में जब से धरती पर शासन व्यवस्था को तालिबान, आई एस, जैशे मोहम्मद, लिट्टे, नक्सली आदि आदि ने सरकारों को चुनौती देना शुरू किया है तब से सारी शासन व्यवस्थाएं केवल आतंक का मुकाबला करने में खर्च हो रही हैं। निरपेक्ष विद्वानों का ये मानना है कि आतंक कोई अलग से समस्या नही है बल्कि कथित राजनेताओं की स्वेच्छाचारिता, स्वार्थपरकता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति अनभिज्ञता है।

सब जानते हैं कि लोकतंत्र का मूल हित है लोक। इस लोक के योगक्षेम के लिए ही सारे नीति नियम और संविधानों की रचना हुई हैं। परंतु बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आतंक से भयभीत सभी देशों की शासन पद्धति पहले पार्टी तंत्र में बदली और फिर व्यक्ति तंत्र में सिमट कर रह गई। इन हालातों में जन प्रतिनिधियों की भूमिका बदल गई है। अब जन प्रतिनिधि की जगह पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव होने लगा है। पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने के लिए जात, धर्म, सम्प्रदाय और हिंसा को उपकरण बना कर जनता विभेदित करना अपना दायित्व समझने लगे हैं। सरकार नीति नियमों और संविधान को जनता के हित में प्रयोग करने के बजाय उसके खिलाफ काम में लेती हैं।

हाल के लोकसभा चुनावों में ये शर्मनाक उदाहरण सामने आया कि सरकार का सर्वोच्च नेता और उसके मंत्री मंडलीय सदस्य, जड़ता की सीमा तक बदमिजाज़ होकर, जात के नाम पर ऊल जूलूल बयान देते रहें। इससे भी ज़्यादा दुखद स्थिति ये है कि सरकार में बैठे मंत्री खुद अपनी सरकार से तरह तरह की मांगें करते रहे । यह लोकतंत्र का स्तब्ध कर देने वाला ऋणात्मक उदाहरण है। लेकिन कथित विपक्ष भी गैर लोकतांत्रिक होकर सरकार की इन कारगुजारियों को नज़रअंदाज़ करके अपनी नाकामयाबियों को और बढ़ाता रहा। परिणाम ये हुआ कि सत्ता और विपक्ष दोनो ही जनता से दूर होते चले गए। अब जनता जाये तो जाए कहाँ।

जनता और नेता में आधारभूत अंतर ये होता है कि जनता, सरकार और विपक्ष पर विश्वास करती है और वे जनता की सभी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करती है। आज बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि निरीह जनता तो अपने नेताओं पर विश्वास करती है, लेकिन नेता जात और धर्म के कारण देश पर नही अपनी पार्टी पे विश्वास करते हैं। केवल सत्ता को हथियाने के अलावा लोक कल्याण का जो विषय हुआ करता था वो पूरी तरह भुला दिया गया है। इसी का भयानक और दुखद परिणाम ये है कि जनता को आतंक के खिलाफ हवन में समिधा की तरह प्रयोग किया जा रहा है।

परिवार पालन में व्यस्त और त्रस्त जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अब पवित्र मतदाता नही बल्कि इस या उस जात का एक सिक्का मात्र है। इन सिक्कों को हथियाने के लिए आपाधापी का भयंकर दौर सबके सामने दौड़ रहा है और उसे रोकने वाला कोई नही है। समता आंदोलन अपनी सीमाओं में संविधानिक शुचिता की रक्षा के लिए जो कर सकता है वो कर रहा है। परिणाम भी आ रहे हैं। परंतु 125 करोड़ लोगों को लोकतंत्र समझाना इतना आसान नही है। दबावों को झेलता लोकतंत्र

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

दलित को हटाता पिछड़ा शब्द

इस लोक सभा चुनाव में प्रचार का समेकित विश्लेषण करें तो तथ्य ऐसा लगता है कि देश बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रहा है। वो परिवर्तन ये है कि दलित शब्द कोने में चला गया है और उसके स्थान पर पिछड़ा शब्द आरूढ़ हो गया है। हमने बार बार कहा है और फिर कहते हैं कि दलित शब्द संवैधानिक नहीं है, बल्कि संविधान के लिए अपशब्द है। जब संविधान लिखा गया था उस समय कहीं भी दलित शब्द नही था। अस्सी के दशक में कथित साहित्यकारों ने इस शब्द को गढ़ा और ये चलन में आता गया। यहां तक कि उन लोगों ने ना केवल खुद को दलित साहित्यकार घोषित किया बल्कि कथा सम्राट प्रेमचंद को भी दलित साहित्यकार घोषित करने का प्रयास किया। इसलिए अब यदि दलित के स्थान पर पिछड़ा शब्द प्रयुक्त होने लगा है तो ये सुखद संकेत है। संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो पिछड़ेपन के कारण है। धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के कतिपय निर्णयों के कारण पिछड़ापन जाती का पर्याय बन कर रह गया। इसीलिए अब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी साफ तौर पे घोषित करते हैं कि जाती आधारित आरक्षण को कोई नही हटा सकता। यहां मज़ाक की बात ये है कि जातिवादी आरक्षण इसलिए लागू किया गया था कि देश से जातिवाद का ज़हर कम हो। यहां भी ये प्रश्न आता है कि आखिर ये जातिवाद है क्या। एक तरफ रूलिंग पार्टी जातिवाद को खत्म करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी आदि आदि कितनी ही जातियों की श्रेणियां बनाते जा रहें हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत के दौरान कहा कि जातियां भारत का सौंदर्य हैं। इस दोहरी मानसिकता के कारण देश को कितना नुकसान हो रहा है ये एक शोध का विषय है।

चुनाव प्रचार से पहले टिकट वितरण के समय रूलिंग पार्टी ने उदित राज और राजभर जैसे नेताओं को टिकट ना देकर बाहर का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ मायावती जैसी घोषित दलित नेता ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान दलित शब्द की जगह पिछड़ा शब्द इस्तेमाल करना सुविधाजनक माना। हालांकि आरक्षित सीटों पे स्वाभाविक रूप से आरक्षित जातियों को ही टिकट देना

> यदि सच में देश की विचारधारा में दलित के स्थान पर पिछड़ा शब्द आ जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि जातिवाद का खतरा देश को तोड़ने की सीमा तक जा पहुंचा है।

होता है लेकिन इस बार जिन लोगों को टिकट दिया गया उनकी छवि अपेक्षाकृत कम जातिवादी है। लेकिन विद्वानों को ये पीड़ा हुई कि देश के प्रधानमंत्री ने भी चुनाव प्रचार के दौरान बार बार अपने आप को पिछड़ी जाति का घोषित किया। प्रश्न ये है कि यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने आप को दलित मानते हैं तो ये ये साफ होता है कि अब जातिवाद देश की राजनीति में सत्ता हथियाने का मूल उपकरण बन गया है। नेता लोग बार बार विकास.विकास चिल्लाते हैं, किंतु वोट जाट के नाम पे ही पाते हैं।

यदि सच में देश की विचारधारा में दलित के स्थान पर पिछड़ा शब्द आ जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। क्योंकि जातिवाद का खतरा देश को तोड़ने की सीमा तक जा पहुंचा है। इन चुनावों में बार बार सुनने को मिला कि एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं जो देश की राष्ट्रवादी और समन्वयवादी पार्टियों को हमेशा के लिए बाहर कर देगा। यह एक चेतावनी है। लोकतन्त्र में चुनी हुई सरकार ही अंतत: निर्णायक हुआ करती है, इसलिए दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों ने चुनावों के दौरान सांकेतिकता को छोड़ दें तो जातिवाद को केंद्रीय मुद्दा नही बनने दिया है।

जातिवादी राजनीति के कारण क्षेत्रीय स्वार्थी दल उभरते हैं। इसके लिए बहुत पहले देश की एक मात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि आगे जाकर क्षेत्रीय दल देश के लिए अभिशाप सिद्ध होंगे। और ये बात सच भी सिद्ध हुई। इन्हीं जातिवादी क्षेत्रीय दलों के कारण 1991 के बाद से केंद में एकल पार्टियों का शासन नही हो पाया हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी उधृत किया जा सकता है जिन्होंने कहा था कि देश में एकल पार्टियों की शासन की व्यवस्था का दौर समाप्त हो चुका है। ये बात भी सच निकली । सब जानते हैं कि आज यूपीए, एनडीए, महागठबंधन, तीसरा मोर्चा आदि आदि अलग अलग पार्टियों के समूह खड़े हो गए हैं। इसलिए बड़े निर्णय लिए जाना तो कठिन हुआ ही है बल्कि छोटे छोटे निर्णयों में भी ब्लैकमेलिंग और स्वार्थपरता का वर्चस्व दिखाई देता है। इन हालातों में रामविलास पासवान जैसे चतुर लोग हमेशा सत्ता का स्वाद लूटते हैं। सबको याद है कि ये वही पासवान है जिन्होंने केन्द्र सरकार में मंत्री पद पे रहते हुए भी जातिवादी सांसदों को अपने घर पर बुलाया और मीटिंग करके मेमोरंडम दिलाकर प्रधानमंत्री को दबाव में लेने की कोशिश की थी। इसी तर्ज पर लालू यादव भी जातिवादी राजनीति किया करते थे लेकिन अदालतीय आदेश से ये जेल की सीखंचों के पीछे उदास मन बैठे हैं। और आगे बढ़ें तो जीतन राम मांझी ने पार्टी लाइन से हटकर खुद को महा दलित नेता घोषित करने का प्रयास किया और वो भी मूल धारा से अलग हो गए।

जातिवादी राजनीति ने भारत देश का कितना नुकसान किया है इसे एक ही उदाहरण से समझा जा सकता है। और वो ये है कि सरकारों ने प्रशासनिक दक्षता में लगातार गिरावट देखते हुए सरकारी कर्मचारी अमले में भारी कटौती करते हुए उसे 40 प्रतिशत तक ले आया गया है। इससे जनता को जो पीड़ा और नुकसान हुआ है वो अप्रत्याशित और अकल्पनीय है। आज औसत छोटे बड़े हर शहर में औसतन दो से चार महिलाओं के मंगलसूत्र छीने जा रहे हैं, हैंडबैग छीने जा रहे हैं, घर से बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे है, महिलाओं पे अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि देश सरकार विहीन चल रहा है। इन हालातों में ये बिल्कुल उचित और समीचीन लगता है कि देश से जातिवादी राजनीति का दौर खत्म हो और राष्ट्रवादी लोग सामने आएं।

- समता डेस्क

ई.डब्लू.एस. कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि ईडब्लूएस का 10 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय अध्यापक योग्यता परीक्षा 2019 में लागू क्यों नहीं किया गया। छात्रों के एक समूह द्वारा दायर पीआईएल से सहमति प्रकट करते हुए छुट्टियों की बैंच के जस्टिस इन्द्रा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना ने सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजुकेशन केन्द्र सरकार से एक जुलाई तक जबाव मांगा है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने अदालत से प्रार्थना की है कि वह मानव संशाधन मंत्रालय को निर्देश दें कि वह 103वें संविधान संशोधन और 2019 के एक्ट के अनुसार कोटे का लाभ याचिकाकर्ताओं को दे। जैसा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति और ओबीसी को दिया जा रहा है।

पौराणिक कथन : 'उर्मिला"

सीता जी की छोटी बहन और लक्ष्मण जी की पत्नी। इनके अंगद और चंदकेतु दो पुत्र तथा सोमदा पुत्री थी।

अंतरिक्ष असमान की बातें,
बेटी समझ नहीं पायेगी।
उसको उसके पंख लौटा दो,
वो खुद वहां पहुंच जायेगी।।

कविता

भौंचक खड़ा है अगड़ा

पिछड़े के आगे इक पिछड़ा,
पिछड़े के पीछे भी पिछड़ा,
ये भी पिछड़ा वो भी पिछड़ा,
अगड़ा चाहे बनना पिछड़ा।
देश दौड़ना चाहे आगे,
वो केवल पीछे को भागे,
कैसे मिल पायेगी मंजिल-
जब सब रहना चाहें पिछड़ा।
पिछड़ों की संख्या बढती है,
अगड़ों की संख्या घटती है,
हो विकास पाताल का वासी-
पर वे चाहें रहना पिछड़ा।
अग्र दिखाई देता पिछड़ा,
कर्म ना बन पाता है अगड़ा,
जात बनी अब कठिन पहेली-
हल करता है उसको पिछड़ा।
सबसे बड़ा खेल है पिछड़ा,
कभी न आगे पहुंचे अगड़ा,
बस ओलम्पिक बचा जहाँ पर-
अब तक जा नहीं पाया पिछड़ा।
ऐसा फिर कब हो पायेगा,
सूरज बिन बादल आयेगा,
रात घटेगी होगा उजाला,
पिछड़े से आगे होगा अगड़ा।
पिछड़े के आगे इक पिछड़ा,
पिछड़े के पीछे भी पिछड़ा,
ये भी पिछड़ा वो भी पिछड़ा,
अगड़ा चाहे बनना पिछड़ा।

- कनिष्का शर्मा -

स्थापना महोत्सव की झलकियाँ

स्थापना समारोह जयपुर प्रदेश मुख्यालय में दीप प्रज्वलन

सीताराम कच्छावा का उद्बोधन

स्थापना समारोह रजिस्ट्रेशन एवं व्यवस्थापक टीक

वी0 के0 तिवारी का उद्बोधन

आरक्षण अर्थात योग्यता एवं गुणवत्ता का ह्रास

गतांग से आगे:-

हालाँकि हम यहाँ पं. नेहरू के दृष्टिकोण पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इस छोटे से अनुच्छेद में भी पाँच ऐसे बिंदु हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला बिंदु-पं. नेहरू का कहना है कि 'अवसर' का द्वार सभी के लिए समान रूप से खोला जाए, 'सभी को समान अवसर दिए जाएँ ' इसके लिए चाहे योग्य अभ्यार्थियों को अवसर से वंचित ही क्यों न करना पड़े। दूसरा बिंदु- पं. नेहरू तो केवल यही कह रहे हैं कि पिछडों को विशेष अवसर दिए जाएँ। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि पिछडों को आरक्षण के जरिए विशेषधिकार दे दिए जाएँ। तीसरा बिंदु-विशेष अवसर के माध्यम से पं. नेहरू पिछडों को आगे बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, न कि आवश्यक अर्हता-स्तर को नीचे करना चाहते हैं। चौथा बिंदु- इस अनुच्छेद में पं. नेहरू शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष अवसर की बात कर रहे है; इसे सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के तर्क के संदर्भ में कैसे लिया जा सकता है? और आखिरी बिंदु-यदि 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से एक ऐसा अनुच्छेद उद्धत किया जा सकता है तो उनके (पं. नेहरू के) इस पत्र की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता, जो उन्होंने सन् 1961 में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सीधे आरक्षण के मामले पर ही लिखा।

लेकिन इन प्रगतिवादी न्यायाधीश महोदय, जो स्वभाव से बड़े कृपालु हैं, को कैसे रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति सांवत आगे लिखते हैं- ''भारतीय समाज में व्याप्त असमानताएँ स्वयं हमारे समाज के भीतर से ही उत्पन्न हुई हैं और उन्हें सामाजिक प्रगति के हरेक माध्यम क्षदा मजबूत और दीर्ध-स्थायी बनाया गया है। निम्न-स्तरीय शिक्षण संस्थान, पेशों का गिरता स्तर, सीमित सामाजिक संपर्क और अमानवीय दृष्टिकोण आदि इन असमानताओं को दीर्घ-स्थायी बनाने में कई प्रकार से अपना योग दे रहे हैं।'' अब प्रश्न यह है कि आखिर इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया जाता? इनकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? अमानवीय दृष्टिकोण और रहन-सहन में सुधार क्यों नहीं किया जाता? उच्च स्तरीय पर नए पेशे क्यों नहीं अपनाए जाते? लेकिन माननीय न्यायाधीश का इस ओर ध्यान नहीं है।

पहले बात आती है इसी तरह की योग्यता व कुशलता के सापेक्ष महत्व की ''बिगड़ते सामाजिक परिवेश के कुप्रभाव के बावजूद किसी तरह न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेनेवाले (पिछड़े वर्ग के) लोगों को अपने पिछड़ेपन से बाहर निकलने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है।'' और इसके साथ ही हमें पुराने रिवाजों तथा प्रथाओं में वापस पहुँचा दिया जाता है। माननीय न्यायाधीश प्रश्न उठाते हैं-''क्या इन (विपरित) परिस्थितियों में प्राप्त की गई ये योग्यताएँ-भले ही उन्हें परंपरागत मानदंड के अनुसार निम्न माना जाता हो-अधिक श्रेयस्कर और प्रशंसनीय नहीं हैं? क्या

> पं. नेहरू शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष अवसर की बात कर रहे है; इसे सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के तर्क के संदर्भ में कैसे लिया जा सकता है? और यदि 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' से एक ऐसा अनुच्छेद उद्धत किया जा सकता है तो उनके (पं. नेहरू के) इस पत्र की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता, जो उन्होंने सन् 1961 में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सीधे आरक्षण के मामले पर ही लिखा।

इनसे पर्याप्त इच्छा-शक्ति, बुद्धिमत्ता, कर्मठता, संभाव्यता और अध्ययन एवं ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता?''

उसके बाद बात आती है प्रारंभिक निष्पक्षता के प्रश्न की-''क्या इन योग्यताओं-उपलब्धियों की तुलना ऐसे लोगों की उपलब्धियों या योग्यताओं से करना निष्पक्षता होगी, जिनके पास सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध है; जिसे उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जागरूक और प्रतिष्ठित परिवारिक पृष्ठभूमि तथा सामाजिक जीवन का लाभ मिलता है?''

और फिर बात आती है प्रकल्पना की-''कई मामलों में हो सकता है कि उच्च वर्ग के लागों-जिन्होंने अपनी संभाव्यता का पूरा उपयोग न किया हो-द्वारा प्राप्त किया गया अंक, भले ही वह अन्य लोगों द्वारा प्राप्त किए गए अंक से अधिक हो, लेकिन उन्हें उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखकर देखा जाए तो कम ही हो।हो सकता है कि वही सुविधाएँ यदि किसी और को मिलती तो वह ओर भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेता।''

तब आता है निर्णायक उदाहरण-''इस संदर्भ में डॉ. अंवेडकर का उदाहरण उद्धत किया जा सकता है। हाई स्कूल की परीक्षा में उन्होंने मात्र 37.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 35 प्रतिशत था।(देखें, डॉ धनंजय कीर द्वारा लिखित पुस्तक-'डॉ.अंबेडकर) यदि उनकी योग्यता का मूल्यांकन उनके इस प्राप्तांक के आधार पर किया जाता तो देश उनकी प्रतिभा का लाभ हमेशा के लिए खो देता।''

इसी उदाहरण के आधार पर माननीय न्यायाधीश सामान्य मानदंडों में ही दोष निकालना शुरू कर देते है; लेकिन अपने निर्णय में वह कहीं किसी वैकल्पिक मानदंड की बात नहीं करते। जी हाँ, माननीय न्यायाधीश का कहना है कि ''योग्यता के मामले पर सवाल खड़ा करने वाले लोग दुर्भाग्य से इस मौलिक तथ्य को नजर अंदाज करते हैं कि योग्यता अथवा गुणवत्ता का मूल्यांकन करनेवाली परंपरागत पद्धति न वैज्ञानिक है और न ही यथार्थ। किसी एक मौखिक अथवा लिखित परीक्षा में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही आवश्यक रूप से उस व्यक्ति की किसी पद विशेष से संबंधित योग्यता अथवा कुशलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें उस अभ्यार्थी की तुलनात्मक क्षमता और संभाव्यता का बहुत कम ही संकेत मिल पाता है। अलग-अलग पदों के संदर्भ में योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए अलग-अलग प्रकार की परीक्षा पद्धति अपनानी पड़ती है।''

और फिर, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर की तरह ही माननीय न्यायमूर्ति सांवत कहते है कि सक्षमता अथवा सामर्थ्य और उपयुकतता में अंतर है-''इस देश की मूल समस्याएँ जन-व्यापी हैं। भारत गाँवों में बसता है और मलिन बस्तियों, कस्बों तथा शहरों में बसता हैं।(इन मलिन बस्यिों, कस्बों तथा शहरों और गाँवों में रहनेवाले) भारतीयों की समस्याएँ दूर करके उनकी जीवन-दशाओं में सुधार लाने के लिए देश को ऐसे अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है,जो इन समस्याओं का व्यक्तिगत अनुभव रखते हों और उनका हल निकालने में रूचि रखते हों। यहाँ सहानुभूति के साथ-साथ समानुभूति की भी आवश्यकता है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् इतने वर्षों में भी दलितों, वंचितों की स्थिति में कोई विशेष सुधार क्यों नहीं लाया जा सका है ? उनके कल्याण और उत्थान के लिए चलाई जानेवाली योजनाएँ मात्र कागजी योजनाएँ ही बनकर क्यों रह गई हैं ? इसका एक मुख्य कारण यही रहा है कि इन योजनाओं की कार्यान्वयन-संचालन व्यवस्था पर उच्च जातियों का वर्चस्व रहा है, जो दलितों की समस्याओं के प्रति उदासीन हैं.....।''

अध्यापन(व्यवसाय)से संबंधित एक उदाहरण

न्यायमूर्ति सांवत ने अपने इसी निर्णय में अध्यापन के व्यवसाय के संदर्भ में जो टिप्पणी की है, वह विचारणीय है, ''यह गंभीरता से विचार करने योग्य विषय है कि पिछड़े वर्गों के हित को देखते हुए अध्यापन पेशे में वरीयता देने के लिए एकाधिकारी कोटा के स्थान पर आरक्षण का सहारा लिया जाना चाहिए या नहीं।''

इसके लिए उन्होंने क्या कारण या तर्क प्रस्तुत किए हैं ? इन कारणों या तर्कों को पढ़कर स्वयं से यह पूछें कि क्या यही तर्क प्रशासनिक पदों के संदर्भ में भी नहीं लागू होते। शिक्षा व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति का आधार है।

यही बात सामान्य शासन-प्रशासन के मामले में भी सच है, जैसा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की जनता-जिसे जातिवाद की गहरी खाई में धकेल दिया गया है-स्वयं महसूस कर रही है।

अत: सामाजिक जीवन में अध्यापन व्यवसाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी के द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की गुणवत्ता ही उसकी प्रतियोगात्मक सामर्थ्य ओर सन्नद्धता का निर्धारण करती है। यह शिक्षा ही व्यक्ति के कैरियर की नींव है।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

अपील

''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु विज्ञापन

समता आन्दोलन भारत का सबसे बडा समतावादी गैर-राजनेतिक संगठन है, जो एक दशक से भारतीय संविधान के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करवाने, सभी नागरिकों को समानता का मूल अधिकार दिलाने,जातिवाद-सम्प्रदायवाद, भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से देश को मुक्त कराने के लिए सभी संवैधानिक प्रयासों को अपनाते हुये प्रजातांत्रिक रूप से क्रियाशील है। समता आन्दोलन न केवल राजस्थान अपितु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडू आदि प्रदेशों में भी जाति आधारित व्यवस्था से अलग समता मूलक समाज की संरचना के लिए काम कर रहा है।

समता आन्दोलन समिति अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अपनी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' का प्रकाशन करने जा रही है। इस स्मारिका में आरक्षण एवं समतावादी अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी, न्यायिक निर्णयों की जानकारी तथा समता आन्दोलन की 11 वर्षों की गतिविधियों की जानकारी समाहित की जावेगी। इस स्मारिका को राजस्थान सहित कुल 10 राज्यों में 5000 से अधिक प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रांत व्यक्तियों को भेजा जावेगा। इस स्मारिका को समता आन्दोलन की वेबसाइट जिसको देखने वालों की संख्या (viewership) 5.00 लाख से अधिक हो चुकी है, पर भी स्थाई रूप से अपलोड किया जावेगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी प्रथम स्मारिका ''समता प्रकाश'' के लिए अपनी फर्म/ कम्पनी/संस्थान का विज्ञापन देने का अनुग्रह करे। विज्ञापन दरें इस प्रकार है:-

1	मुख्य कवर का पृष्ठ भाग एवं अन्तिम कवर का बाह्य भाग	रू. 2,50,000/-
2	अन्तिम कवर का अन्दरूनी भाग	रू. 1,50,000/-
3	स्मारिका के अन्दर चिकना पूरा पृष्ठ	रू. 1,00,000/-
4	स्मारिका के अन्दर चिकना आधा पृष्ठ	रू. 50,000/-
5	स्मारिका के अन्दर चिकना चौथाई पृष्ठ	रू. 30,000/-
6	स्मारिका के अन्दर सामान्य पूरा पृष्ठ	रू. 50,000/-
7	स्मारिका के अन्दर सामान्य आधा पृष्ठ	रू. 25,000/-
8	स्मारिका के अन्दर सामान्य चौथाई पृष्ठ	रू. 15,000/-

स्मारिका का आकार ए-4 निर्धारित किया गया है

विज्ञापन एवं विज्ञापन सामग्री के प्रारूप हेतु हमारे प्रान्तीय कार्यालय ''जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर जयपुर या पी.एन.शर्मा, जयपुर मोबाइल नम्बर 9460385722, कैप्टन गुरविन्दर सिंह, नई दिल्ली मो.न. 9999555726, धर्मवीर सिंह, हरियाणा मो.न. 9355084877, गिरजेश शर्मा, उत्तर प्रदेश 9412445629, धीरज जे. पंचाल, गुजरात मो.न. 9428600409, अशोक शर्मा, मध्यप्रदेश मो.न. 7552576022, वैंकटरमण कृष्णमूर्ति, कर्नाटक मो.न.9538966339, श्रीराम पंसारी, चण्डीगढ मो.न. 9876127663, सी.एम.डिमरी, उत्तराखण्ड मो.न. 9411103390, संजीव शुक्ला, मुम्बई मो.न. 9821390321 या ई-मेल samtaprakash2019@gmail. com पर सम्पर्क कर सकते है। **कृपया चैक/ड्राफ्ट समता आन्दोलन समिति के नाम बनवायें।**

हमें विश्वास है कि आपका दिया हुआ विज्ञापन इस राष्ट्रवादी समता आन्दोलन द्वारा चलाये जा रहे समता मूलक समाज की संरचना के सफल प्रयासों में सहयोग का कार्य करेगा।

स्थापना दिवस समारोह में अजमेर ने सौपे डेढ लाख रूपये के चैक

अजमेर,15 मई। समता आन्दोलन की संभागीय इकाई द्वारा भव्य स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। जिसकी शुरूआत सार्वजनिक रूप में हजारों दीपक जलाकर 11 मई को की गई। संगीता जैन, सुरेन्द्र कुमार जैन का योगदान सराहनीय रहा। अन्त में संभागीय अध्यक्ष एन. के. झामड ने आगन्तुक मेहमानों को धन्यवाद पारित किया। इसी अवसर पर अजमेर इकाई द्वारा ''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु डेढ लाख रूपये का चैक भेंट किया

अजमेर स्थापना समारोह की शुरूआत दीप प्रज्वलन से

स्थापना समारोह के अवसर पर जिला इकाई के अध्यक्ष के. जी. मोदानी ने आगन्तुक मेहमानों का स्वागत किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने समता आन्दोलन की समसामयिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुये 102वें संविधान संशोधन पर विस्तार से बताते हुये कहा कि प्रदेश में एमबीसी को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण जनता के साथ धोखा है। स्थापना समारोह को सफल बनाने में किरण मेहरा, महेन्द्र तिर्थानी, नीरज पारीक, चम्पालाल परिहार, सुशांत शर्मा, कश्मीर सिंह, बी.एन. सारस्वत, रामबाबू शर्मा, उमारानी शेखावत,

राष्ट्रीय अध्यक्ष को ''समता प्रकाश'' स्मारिका हेतु डेढ लाख रूपये का चैक भेंट करते हुये

कर्नाटक में शुरू हुआ पदोन्नति में आरक्षण !!

न्याय के इतिहास की शायद यह पहली घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के खिलाफ वकील ने सीधा प्रश्न उठाया है। सोशल मीडिया पर बार एण्ड बैंच नाम से इण्डियन लीगल न्यूज के तहत वकील कानू अग्रवाल ने वी.के.पवित्रा-2 केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संविधान की धारा 14 और 16 के खिलाफ घोषित किया है। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने बैंच के निर्णय को लागू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक प्रदेश में प्रमोशन में अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण को हरी झण्डी दे दी है। कर्नाटक के इस मौजूदा मामले में राज्य सरकार ने रत्नप्रभा समिति बनाकर डेटा जमा किया और साबित किया कि आरक्षण जरूरत है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां आरक्षण को हरी झण्डी दे दी।

मामले में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड की पीठ ने एससी-एसटी आरक्षण पर भरोसा जताया। पीठ ने कहा कि एससी-एसटी आरक्षण लोग जिन परिस्थितियों में जन्म लेते है उसे जिम्मेदार बनाते हुये प्रभावी और वास्तविक समानता की सच्ची कोशिश है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि होनहार अभ्यार्थी सिर्फ वो नहीं जिसमें विशेष गुण हो या जो सफल हो, बल्कि वह नियुक्ति भी है जो एससी-एसटी समुदाय के सदस्य को बेहतर मौका देते हुए विविधता और उचित प्रतिनिधित्व के संविधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। जबकि वी.के.पवित्रा के पुराने फैसले के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले सरकार को आंकड़े देकर साबित करना होगा कि यह समुदाय पिछड़ा है। इसके लिए सरकारी सेवकों की परिणामी वरिष्ठता का कर्नाटक विस्तार आरक्षण आधार पर पदोन्नत अधिनियम, 2017 एससी-एसटी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पारित किया गया था जिसे 2018 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई खण्डपीठ ने व्यवस्था दी है कि मेडिकल दाखिले में सेवारत सैन्य कर्मियों के बच्चों को आरक्षण मिलेगा। कोर्ट ने इसी सत्र से एमबीबीएस और बीडीएस दाखिले में आरक्षण देने को कहा।

स्थापना महोत्सव की झलकियाँ

संरक्षक जस्टिस पानाचंद जैन की अगुवाई करते समता पदाधिकारी

स्थापना समारोह के मुख्य वक्तागण

संरक्षक जस्टिस पानाचंद जैन

संरक्षक आईएएस भागीरथ शर्मा

अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा

उदयपुर संभागीय अध्यक्ष दूल्हेसिंह

बी0 एम0 शर्मा

फोटों अध्यक्ष अरूण अग्रवाल

महिला प्रकोष्ठ से लतिका झा

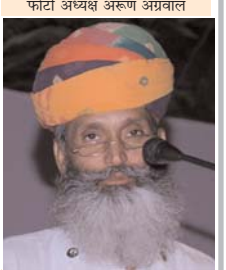

विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष ऋषिराज राठौड

सम्पादक योगेश्वर झाडसरिया

ओबीसी प्रकोष्ठ से शमशुद्दीन

समता आन्दोलन के सदस्यों से निवेदन है कि समता ज्योति आपका अपना अखबार है। इसमें प्रकाशित करने के लिए अपने विचार, कविता, समाचार, आदि-आदि मुख पृष्ठ पर दिये ई-मेल पते पर या डाक से भेजे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in